

**न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्रमांक : 2247 / 2014

संस्थापन दिनांक 18.12.2014

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—श्रीकृष्ण अवतार समाधिया पुत्र रामचरनलाल
समाधिया उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट पिड़ौरा
थाना बरोही जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10.12.14 को 11:30 बजे महेश सेक्रेटरी के मकान के ग्वालियर रोड थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर कार क्रमांक एम0पी0-07-टी.सी.-0022 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन का उतावलेपन उपेक्षापूर्ण परिचालन कर मंटोले जाटव को घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.14 को 11:30 बजे फरियादी बलवीर अ0सा01 के पिता मंटोले अ0सा02 साइकिल से गोहद चौराहे से अपने ग्राम नावली जा रहे थे थोड़ी पीछे बलवीर अ0सा01 था तब महेश के मकान के सामने ग्वालियर रोड पर भिण्ड की ओर से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी क्रमांक एम0पी0-07-टी.सी.-0022 तेजी व लापरवाही से आई और मंटोले अ0सा02 में टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई और उन्हें एम्बुलेंस से उपचार के लिए भेजा गया। तत्पश्चात् फरियादी बलवीरसिंह अ0सा01 ने थाना गोहद चौराहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 277/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध

प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 10.12.14 को 11:30 बजे महेश सेक्रेटरी के मकान के ग्वालियर रोड थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर कार क्रमांक एम0पी0-07-टी.सी.-0022 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन का उतावलेपन उपेक्षापूर्ण परिचालन कर मंटोले जाटव को घोर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. बलवीर अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है। दिसम्बर 2014 में उसके पिता मंटोले अ0सा02 ग्राम नावली से गोहद साइकिल से आ रहे थे तब गोहद चौराहा और छीमका के बीच एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी ने जिस पर नंबर नहीं था और अस्थायी नंबर का पर्चा चिपका था, ने टक्कर मार दी घटना के समय वह गांव में था जब थाने से फोन आया तो वह पहले थाने गया फिर वहां से अस्पताल गया। मंटोले अ0सा02 के बांये पैर के घुटने में, सिर में व अन्य जगह चोट आई थी और वह 6-7 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे नहीं पता कि गाड़ी किस गति से चल रही थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घटना के समय वह मंटोले अ0सा02 के साथ था और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी ने तेजी व लापरवाही से कार को चलाकर दुर्घटना कारित की है और गाड़ी का नंबर एम0पी0-07-टी.सी.-0022 भी याद होने से इंकार किया है। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-3 और रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः फरियादी बलवीर अ0सा01 ने आरोपी के कृत्य का कथन नहीं किया है और अभियोजन मामले में प्रत्यक्ष साक्षी होने के उपरांत भी न्यायालयीन साक्ष्य में उसने स्वयं का घटनास्थल पर उपस्थित रहने से इंकार किया है।

6. साक्षी मंटोले अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी श्रीकृष्ण को ना ही जानता है ना ही पहचानता है। ढाई वर्ष पूर्व वह ग्राम नावली से गोहद साइकिल से जा रहा था तब छीमका के पास एक कार चालक ने पीछे से उसकी साइकिल में टक्कर मार दी जिससे वह बेहोश हो गया और वह नहीं देख पाया कि कार चालक कौन था। वह यह भी नहीं बता सकता कि कार चालक कार कैसे चला रहा था। उसे बांये पैर, पसली और सिर में चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार

किया है कि कार चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः मंटोले अ0सा02 ने भी आरोपी के कृत्य का कथन नहीं किया है।

7. अभियोजन मामले में घटना के प्रत्यक्ष साक्षी बलवीर अ0सा01 और मंटोले अ0सा02 ही उल्लिखित हैं और अन्य कोई साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ही निर्भर है। किसी प्रत्यक्ष साक्षी ने आरोपी द्वारा ही उपेक्षापूर्वक वाहन क्रमांक एम0पी0-07-टी.सी.-0022 को परिचालित किए जाने का कथन नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 10.12.14 को उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07-टी.सी.-0022 परिचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा मंटोले अ0सा02 को घोर उपहति कारित की।
8. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)